न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 74 / 16

चुन्नीलाल पुत्र श्री कंवरलाल, जाति बोला, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. उप तहसीलदार, मण्डाना, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 RTA

दिनांक : 07.09.2017

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की खसरा नम्बर 476 की रकबा 3.82 है0 कृषि आराजी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी वादी की गैर खातेदारी में चली आ रही थी तथा जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ बुजुर्ग व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति वर्ग में आता है वादी उक्त आराजी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है तथा उक्त आराजी को जो पूर्व में बंजड़ थी, को अपनी मेहनत से उपजाऊ व उन्नत बनाया है। वादी ने जब उक्त आराजी की गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु कार्यवाही की गई तो वादी को कुल 3.82 है0 आराजी में से 2.43 है0 आराजी पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा शेष 1.39 है0 आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये गये जबकि वादी उक्त आराजी पर भी काबिज काश्त था और वर्षो से उक्त आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी जिस पर वादी वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादी की शेष 1.39 है0 आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही करने की जानकारी प्रतिवादीगण से चाही तो उसे कोई जानकारी नही दी गई तथा दिनांक 19.09.2016 को प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वादी की आराजी पर आकर कहा कि उक्त आराजी सरकारी खाते में चली गई है जिससे वादी को बेदखल किया जावेगा। जिस पर वादी द्वारा दिनांक 20.09.2016 को राजस्व रिकॉर्ड से नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व खसरा नम्बर 476 की 3.82 है0 आराजी में से 1.39 है0 आराजी का पृथक खाता कायम कर खसरा नम्बर 1846/476 का रकबा 1.39 है0 किस्म बारानी तृतीय को सिवाय चक आराजी दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है जबकि वादी उक्त कृषि आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है प्रतिवादीगण द्वारा उक्त 1.39 है0 आराजी को वादी गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बजाय सिवायचक खाता दर्ज कर दिया गया जिसे करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही है यदि वादी को

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त आराजी जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1846/476 रकबा 1.39 है0 है। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवा सके तथा वादी को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी से बेदखल करने से रोकने हेतु व्यादेश प्राप्त कर सके जिसके लिये अन्य विकल्प नही होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि :– आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित कर यह घोषणा की जावे की वादी को खसरा नम्बर 1846/476 की शेष 1.39 है0 ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी जो पूर्व में खसरा नम्बर 476 में वादी की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की व्यादेश पारित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी से बेदखल ना ही स्वयं करें अथवा अपने कार्यकर्ताओं के जरियें ऐसा करें। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये :–

1 ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 476 की 3.82 हैक्टर आराजी का भूप्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान बन्दोबस्त अवधि अप्रेल, 1981 से मार्च, 2001.
2 ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 476 रकबा 3.82 की जमाबन्दी संवत 2061–2064 जिसमें उक्त 3.82 हैक्टर आराजी वादी की गैरखातेदारी में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी की टिप्पणी के कॉलम में खसरा नम्बर 476 की 2.43 हैक्टर आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा शेष 1.39 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना अंकित है।
3 ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा गिरदावरी संवत 2061–2064 के खसरा नम्बर 476 रकबा 3.82 हैक्टर में वादी की सूड की फसल होना अंकित है।
4 ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा गिरदावरी संवत 2069 के खसरा नम्बर 1846/476 रकबा 1.39 हैक्टर में वादी की तिल्ली की फसल होना अंकित है।

दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की स्पष्ट तामील प्राप्त होने तथा तामील उपरान्त 90 दिवस व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा सरकार पैरोकार द्वारा न तो उपस्थिति दी गई और ना ही कोई जवाब आदि पेश करके अपना पक्ष पेश किया गया है, तथापि न्यायिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय पत्रांक रीडर/ए.सी.एम./2017/776 दिनांक 28.03.2017 से वादपत्र की प्रति संलग्न करके वाद पत्रों के कथनों का प्रतिवाद पत्र व साक्ष्य/रिपोर्ट आदि भिजवाने के लिये अन्तिम अवसर देते हुये पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित नहीं होने पर आदेश 1 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादीगण के जवाब दावा व साक्ष्य बन्द किये गये। तदुपरान्त पत्रावली के बहस में आने पर वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र तथा साक्ष्य के शपथ पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम दर्ज गत रकबा 3.82 हैक्टर के अनुरूप ही रकबा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वादी वकील की बहस के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि भू प्रबन्ध विभाग, कोटा के पर्चा लगान तथा जमाबन्दी संवत 2057–2060 के मुताबिक वर्तमान खसरा नम्बर 476 की 3.82 हैक्टर बारानी तृतीय आराजी वादी की गैरखातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

जमाबन्दी संवत 2061–2064 के कॉलम 17 (टिप्पणियां) में जर्ये नामान्तरकरण, खसरा नम्बर 476 की 2.43 हैक्टर आराजी को वादी की गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा शेष रकबा 1.39 हैक्टर का नया खसरा नम्बर 1846/476 कायम कर उक्त 1.39 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने का नोट अंकित किया गया है, किन्तु इस नोट में उक्त आराजी 1.39 हैक्टर को सिवायचक दर्ज किये जाने का कोई विधिसंगत तथ्य अंकित नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुतशुदा ग्राम मण्डाना की संवत 2069 की प्रमाणितशुदा राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील (पी–14) की नकल के अनुसार भी वादी चुन्नीलाल पुत्री कंवरलाल, निवासी मण्डाना का ही आराजी खसरा नम्बर 1846/476 रकबा 1.39 हैक्टर वाके ग्राम मण्डाना पर वर्तमान में फसलकाश्त कर मौके पर कब्जाकाश्त निर्बाध रूप से यथावत चला आ रहा है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी चुन्नीलाल पुत्र श्री कंवरलाल, जाति बोला, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को वर्तमान खसरा नं. 1846/476 रकबा 1.39 हैक्टर बारानी तृतीय आराजी वाके ग्राम मण्डाना का जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है, के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाकर, खसरा नम्बर 476 के साथ ही वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान :

चुन्नीलाल पुत्र श्री कंवरलाल, जाति बोला, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. उप तहसीलदार, मण्डाना, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 91, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 74 / 16
निर्णय दिनांक : 07.09.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी वकील श्री तेज सिंह धाभाई की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 07–09–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी चुन्नीलाल पुत्र श्री कंवरलाल, जाति बोला, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को वर्तमान खसरा नं. 1846/476 रकबा 1.39 हैक्टर बारानी तृतीय आराजी वाके ग्राम मण्डाना का जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है, के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाकर, खसरा नम्बर 476 के साथ ही वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।
यह डिक्री आज तारीख 07.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिये स्टाम्प शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अदर्शो के लिये स्टाम्प ..... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	रूपया	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर के लिये फीस साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड		जोड	